आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद संख्या –52 / 2020

बालेश्वर उपाध्याय

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
20.04.2023	यह अपीलवाद जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के आदेश ज्ञापांक 308 दिनांक 17.02.2020 से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। जिस आदेश से जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ने अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया है। वाद का सारांश यह है कि मझौलिया थाना काण्ड सं0–142 / 2018 दिनांक 19.04.2018 धारा 376 / 306 भा0द0वि0 के तहत गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त कृष्णा शर्मा को न्यायालय में उपस्थापन हेतु श्री बालेश्वर उपाध्याय, चौकीदार, वीट–01 / 2011 एवं श्री भिखारी हाजरा, चौकीदार, वीट नं0–3 / 2011 को आदेश दिया गया। न्यायालय में अभियुक्त को उपस्थापन के उपरांत न्यायालीय आदेश से अभियुक्त को मण्डल कारा, बेतिया में दोनों चौकीदार ले जा रहे थे। उक्त दोनो चौकीदारों के लापरवाही के कारण गिरफ्तार अभियुक्त हथकड़ी निकालकर गिरफ्त से भागने में सफल हो गया। इस कारण पुलिस अधीक्षक, बेतिया के निदेशानुसार दोनों चौकीदारों के विरूद्ध नगर थाना, बेतिया में काण्ड सं0–308 / 2018 दिनांक 22.04.2018 धारा 222 / 323 / 120(ii) / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, जिसमें उन दोनों चौकीदारों को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। दर्ज काण्ड के अंतर्गत दोनों चौकीदारों को गिरफ्तार कर दिनांक 22.04.2018 को जेल भेज दिया गया। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा ''बिहार सरकारी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005'' के नियम 9 के उपनियम 2(क) के तहत गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 22.04.2018 के भुतलक्षी प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रपत्र 'क' गठित करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 67 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, मझौलिया को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप लगाये गये :–

श्री बालेश्वर उपाध्याय, चौकीदार के विरूद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त को न्यायिक हिरासत से भागने में संलिप्तता।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अपीलकर्ता के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। प्राप्त कारण–पृच्छा के जवाब पर विचारोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) अपीलकर्ता की नियुक्ति चौकीदार के पद पर वर्ष 1996 में मझौलिया अंचल में हुई। नियुक्ति के पश्चात कभी भी अपीलकर्ता के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना नही है। अपीलकर्ता की सेवा संतोषप्रद रही है। पूर्व में किसी प्रकार का दंड या विभागीय कार्यवाही अपीलकर्ता के विरूद्ध नहीं हुई है।

(ii) अपीलकर्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रपत्र 'क' के साथ गवाहों एवं साक्ष्यों की सूची संलग्न नहीं की गयी थी।

(iii) अभियुक्त को कोर्ट से जेल ले जाने के लिए ऑटो रिक्सा भाड़ा पर लिया गया था। शाम के अंधेरे में जाम का फायदा उठाकर अभियुक्त हथकड़ी/रस्सा निकालकर फरार हो गया।

(iv) अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया जबकि समान दोष के लिए अन्य चौकीदार श्री भिखारी हाजरा को लघु दंड (दो वेतन वृद्धि पर रोक) दिया गया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(v) बिहार पुलिस मैन्यूल के नियम 240 (c) के तहत कैदी के Escorting के लिए चौकीदार की डयूटी नहीं लगानी है। कैदी के भागने पर चौकीदार की जिम्मेवारी नहीं होगी।

(vi) अपीलकर्ता ड्राइवर के पास बैठा था और श्री भिखारी हाजरा (चौकीदार) कैदी के पास बैठा था।

(vii) जिस प्राथमिकी (F.I.R) के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है, वह अभी क्रिमीनल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। अतएव जिला पदाधिकारी के आदेश को निरस्त किया जाय।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता (श्री बालेश्वर उपाध्याय, चौकीदार) की संलिप्त्ता एवं लापरवाही से अभियुक्त हथकड़ी निकालकर भागने में सफल हो गया। अपीलकर्ता का यह कृत्य ''बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976'' के प्रतिकूल है। इस प्रकार जिला पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल है एवं यह अपीलवाद खारिज होने योग्य है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन किया। जहाँ तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि बिहार पुलिस मैन्यूल के नियम 240 (c) के तहत कैदी के Escorting के लिए चौकीदार की डयूटी नहीं लगानी है। कैदी के भागने पर चौकीदार की जिम्मेवारी नहीं होगी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस मैन्यूल के नियम 240 (ख) में यह भी अंकित है कि ***''साधारणतः एक या दो साधारण अपराधियों को एक ही सिपाही के प्रभार में भेजना पर्याप्त होगा, किन्तु यदि आवश्यक ही हो, तो एक हृष्ट–पृष्ट ग्राम चौकीदार भी उसके साथ जाएगा। यदि सिपाही को किसी कारण से अलग जाना पड़े तो वह आश्वस्त हो लेगा की बन्दी ठीक से बंधा हुआ है और यदि कोई चौकीदार उपलब्ध हो, तो वह बन्दी को चौकीदार की अस्थायी अभिरक्षा में रख देगा।''***

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मझौलिया थाना काण्ड सं0–142/2018 दिनांक 19.04.2018 धारा 376/306 भ0द0वि0 के तहत गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त कृष्णा शर्मा को न्यायालय में उपस्थापन हेतु श्री बालेश्वर उपाध्याय, चौकीदार, वीट नं0–01/2011 एवं श्री भिखारी हाजरा, चौकीदार वीट नं0–3/2011 को

WEB COPY NOT OFFICIAL

मझौलिया थाना द्वारा कमान पत्र निर्गत किया गया। न्यायालय में अभियुक्त को उपस्थापन के उपरांत न्यायालीय आदेश से अभियुक्त को मण्डल कारा, बेतिया में दोनों चौकीदार ले जा रहे थे। उक्त दोनो चौकीदारों के लापरवाही के कारण गिरफ्तार अभियुक्त हथकड़ी निकालकर गिरफ्त से भागने में सफल हो गया। इस कारण पुलिस अधीक्षक, बेतिया के निदेशानुसार दोनों चौकीदारों के विरूद्ध नगर थाना, बेतिया में काण्ड सं0–308/2018 दिनांक 22.04.2018 धारा 222/323/120(ii)/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, जिसमें उन दोनों चौकीदारों को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। दर्ज काण्ड के अंतर्गत दोनों चौकीदारों को गिरफ्तार कर दिनांक 22.04.2018 को जेल भेज दिया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दोनों चौकीदार को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा दोनों चौकीदार को समान रूप से दोषी पाया गया। परंतु जिला पदाधिकारी द्वारा श्री भिखारी हाजरा, चौकीदार को संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया जबकि अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एक समान आरोप के लिए दोनों चौकीदारों को अलग–अलग दण्ड देना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है एवं आरोपी चौकीदार के विरूद्ध आरोपित दंड उनके द्वारा किये गये कृत्य के असंगत है।

अतएव इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध पारित बर्खास्तगी संबंधी आदेश को विलोपित करते हुए एक अन्य चौकीदार (श्री भिखारी हाजरा) पर अधिरोपित दंड के समतुल्य संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही अपीलार्थी की बर्खास्तगी की तिथि से पुनर्स्थापन की तिथि तक की अवधि का निरूपण असाधारण अवकाश के रूप में किया जाता है। उक्त अवधि के लिए अपीलार्थी को किसी प्रकार का वेतन/भत्ता इत्यादि का भुगतान नहीं किया जायेगा परन्तु पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना की जायेगी। आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आयुक्त आयुक्त।	

WEB COPY NOT OFFICIAL